न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 66/22

GCMS NO 2023/33

1. बदरी पुत्र रामकरण
2. हरि सिह पुत्र बदरी
3. धारा सिह पुत्र बदरी
4. श्रीमती नाथी पत्नि बदरी, सभी जातियान मीना निवासी कोडयाई तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. जमना लाल पुत्र कन्हैया
2. जनकी बेवा कन्हैया (फौत) (हजफ)
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 1023/18 निर्णय दिनांक 7.10.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अशोक कुमार पारीक

दिनांक 11.11.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 7.10.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इंस आशय का पेश किया कि ग्राम कोडयाई तहसील बौली मे मुताबिक जमाबंदी सवत 2073 से 76 मे दर्ज आराजी ख0न0 5002,5003,5004 कुल किता 3 कुल रकबा 2.35 है0 स्थित है। जिस पर प्रार्थी वर्षो से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे 1/2 हिस्सा प्रार्थीयान का है । उक्त आराजी के सेटलमेंट से पहले ख0न0 380 व 381 थे उक्त भूमि पर दीगर व्यक्ति का कोई अधिकार व सवंध नही है। उक्त भूमि के चारो तरफ मेडबंदी हो रही है तथा भूमि पर आपसी सहमति से मडडू पुत्र रामनारायण मीना से बंटवारा कर रखा है उक्त भूमि खसरा न0 380, 381 प्रार्थी के पिता कन्हैया लाल मीना व मडडू पिसरान रामनारायण ने रामलाल व बदरी मीना निवासी कोडयाई से 1963 मे खरीद की है जिसका नामा0 संख्या 454 व 455 भी प्रार्थी के पिता के नाम खुल चुका है। सहखातेदारान से शुरू से आज तक किसी प्रकार की कोई विवाद उत्पन्न नही हुआ है। प्रार्थीयान के पिता कन्हैया के फौत हो जाने के बाद प्रार्थी व उसकी मां के नाम नामा0 खुल चुका है तथा रिकार्ड मे नाम दर्ज हो चुका है। प्रार्थीयान द्वारा अपने हिस्से की भूमि की सफाई करने दिनांक 29.7.18 को गये तो अप्रार्थीयान द्वारा लठठ के जोर पर आराजी को छीनने पर आमाद हो गये। इसलिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात भूमि ख0न0 5002,5003, 5004 कुल किता 3 कुल रकबा 2.35 है0 मे से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम कोडयाई तहसील बौली मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे न किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित करने मे अहम भूल की है। विवादित भूमि साबिक खसरा न0 381 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा बारानी अब्बल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 के खाता संख्या 743 मे अपीलांट के पिता रामकरण पुत्र पीरया मीना के नाम से दर्ज थी। खाता संख्या 743 मे दर्ज खातेदार रामलाल,बदरी पुत्र मन्या जाति मीना के नाम से खसरा न0 380 रकबा 16 विस्वा, खसरा न0 2570 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा की खातेदारी मे दर्ज थी। विवादित भूमि ख0न0 381 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा से खातेदार रामलाल,बदरी पुत्र मन्या का दूर दूर तक कोई संबंध नही था एवं विक्रय करने का रामलाल,बदरी पुत्र मन्या को कोई अधिकार भी नही था लेकिन दिनांक 20.9.62 को बिना किसी खातेदारी अधिकार के रामलाल,बदरी पुत्र मन्या ने खसरा न0 380 रकबा 16 विस्वा, 2570 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा के साथ मे ख0न0 381 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा का विक्रय पत्र बिना किसी अधिकार के फर्जी तरीके से खसरा न0 381 को दर्ज कर दिया इसलिए फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कराने के आधार पर किसी तरह का रेस्पो0 को विधिक अधिकार नही है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया इस कारण आदेश अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि साबिक ख0न0 380 रकबा 16 विस्वा , 381 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा के भू प्रबंध विभाग ने नवीन ख0न0 5002 रकबा 0.87 है0, 5003 रकबा 0.91 है0 , 5004 रकबा 0.57 है0 कुल रकबा 2.35 है0 बनाये है। फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर साबिक खसरा न0 381 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा रेस्पो0 के नाम से दर्ज है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 15/22 मे रेस्पो0 को मात्र रहन बय हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के आदेश पारित किये है । जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये है

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जबकि प्रकरण संख्या 1023/18 मे अपीलांटगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दोहरी नीति के होने के कारण अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है। जो स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि व ग्राम कोडयाई तहसील बौली मे मुताबिक जमाबंदी सवत 2073 से 76 मे दर्ज आराजी ख0न0 5002,5003,5004 कुल किता 3 कुल रकबा 2.35 है0 स्थित है। जिस पर रेस्पो/प्रार्थी वर्षो से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे 1/2 हिस्सा रेस्पो/प्रार्थीयान का है । उक्त आराजी के सेटलमेंट से पहले ख0न0 380 व 381 थे उक्त भूमि पर दीगर व्यक्ति का कोई अधिकार व सवंध नही है। उक्त भूमि के चारो तरफ मेडबंदी हो रही है तथा भूमि पर आपसी सहमति से मडडू पुत्र रामनारायण मीना से बंटवारा कर रखा है उक्त भूमि खसरा न0 380, 381 रेस्पो/प्रार्थी के पिता कन्हैया लाल मीना व मडडू पिसरान रामनारायण ने रामलाल व बदरी मीना निवासी कोडयाई से 1963 मे खरीद की है जिसका नामा0 संख्या 454 व 455 भी रेस्पो/प्रार्थी के पिता के नाम खुल चुका है। सहखातेदारान से शुरू से आज तक किसी प्रकार की कोई विवाद उत्पन्न नही हुआ है। रेस्पो/प्रार्थीयान के पिता कन्हैया के फौत हो जाने के बाद रेस्पो0/प्रार्थी व उसकी मां के नाम नामा0 खुल चुका है तथा रिकार्ड मे नाम दर्ज हो चुका है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो/प्रार्थीगण की क्रय शुदा आराजी है जिसको जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पो/प्रार्थी के पिता/पति द्वारा क्रय किया जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण/रेस्पो0 सदभाविक केता है। जिसका वादग्रस्त आराजीयात पर पूर्ण हक एवं अधिकार हासिल है। अपीलांटगण द्वारा जबरदस्ती लठठ के जोर पर प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करना चाहते है जिनका उनको कोई अधिकार हासिल नही है। अपीलांट द्वारा रेस्पो/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी मे मदालखत करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विधिवत रूप से विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसके किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा आराजी ख0न0 5002,5003,5004 किता 3 कुल रकबा 2.35 है0 वाके ग्राम कोडयाई तहसील बौली मे से 1/2 हिस्से के संबंध मे अपीलांट/अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण/रेस्पो0 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा 1/2 हिस्सा लोहडसी पत्नि शंभूदयाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2049 से 2052 के अनुसार आराजी साबिक ख0न0 380 व 381 कन्हैया पुत्र श्योनारायण एवं मडडू पुत्र रामनारायण की खातेदारी मे दर्ज रही है। कन्हैया पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

श्योनारायण प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पूर्वज है। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो/प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। यदि किसी खातेदार की खातेदारी की भूमि के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा किसी के द्वारा उत्पन्न की जाती है तो आवश्यक रूप से उसके हक एवं अधिकारो का हनन होना स्वाभाविक है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से की खातेदारी रेस्पो/प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होता है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा हो इस तथ्य को अपीलांट द्वारा किसी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नही कराया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विधिवत रूप से विववेन किया जाकर एवं राजस्व रिकार्ड का भलीभॉति अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नजर नही आती है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के प्रकरण संख्या 1023/18 मे पारित निर्णय दिनांक 7.10.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर